


FORM No III  
(नियम 26)

फर्द अहकाम

राज्य उपखण्ड अधिकारी  
बाबु बनाम राजस्थान सरकार  
 पत्रावली नं. 36 सन् 2017  
 मुकदमा प्रा. पं०

हुक्म या कार्यवाही/मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>6/12/19 पत्रावली पेश हुई. वकील जर्ची मद्र जर्ची के अनुपास्थित. आज दिनांक के काबजूर सूचना के वकील वाडी मद्र नाडी के उपस्थित नहीं हुए. जिन्हे लीए न्यायालय में विधीवत रूप से बार-बार आवाजे लगावई गई. उसके उपरान्त भी क्वी वकील मद्र वाडी उपस्थित नहीं. अतः वाडी का वादपत्र/जर्चीपत्र सूरीस्तार पर अडम जारी - अडम चरवी में खारिज किया जाता है. पत्रावली फेदाल शुमार शेकर नम्बर से कम शेकर शामिल इफ्तु है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>सुपडा, जिला न्यायालय (राज.)</b> </p>	